प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2022*

विषय:- जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रोज अली पुत्र श्री अली अहमद, निवासी जनपद-श्रावस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे-5-दया0 बैठक-09-09-2021 दिनांक 27-10-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रोज अली पुत्र श्री अली अहमद, जो ग्राम-निराला नगर, थाना-सिरसिया, जनपद-श्रावस्ती का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 10.04.2011 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मुक्का व कुल्हाड़ी से मारकर 02 महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-102/2011] में भा0द0वि0 की धारा-302/34] के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती के दण्डादेश आदेश दिनांक 30.09.2014 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 15.06.2021 तक 10 वर्ष, 02 माह, 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष, 02 माह, 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती ने बंदी द्वारा भविष्य में किसी घटना को कारित करने की संभावना से इंकार नही किया जा सकने, किसी घटना को करने तथा अपराध जगत में अग्रसर होने की संभावना से इंकार नहीं किये जा सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता] बंदी की उम्र (29 वर्ष) व भोगी गयी सजा तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

...2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी रोज अली (बन्दी संख्या-47/2014) पुत्र श्री अली अहमद, निवासी जनपद-श्रावस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-131/2022/2460(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।

2-अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच।

3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।